21st September, 1991. The Council decided to remit the matter to a committee comprising representatives from the Staff Side and the Official Side. The matter is now before the Committee and its report is awaited.

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के साथ भेद-भाव

*349. **श्री राम नरेश यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में इस समय कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इनमें से ग्रेडवार कितने-कितने कर्मचारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ख) अनुसूचित जनजाति के ग्रेडवार कितने आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पदोन्नति के समय इन श्रेणियों के कर्मचारियों के साथ भेदभाव बरता जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इन आरोपों से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) और (ख) 31.12.1991 की स्थिति के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर द्वारा दी गई सूचना निम्नानुसार है:—

(वैकल्पिक सूचना)

संवर्ग	कुल संख्या	प्रतिनिधित्व		अनुसूचित जनजाति के लिए बकाया
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
अधिकारी	1470	125	49	1
लिपिक	3528	550	238	20
अधीनस्थ स्टाफ (सफाई कर्मचारियों सहित)	1605	355	191	14

(ग) जी नहीं।

(घ) बैंक के किसी अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी से पदोन्नति न किए जाने के बारे में कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

मध्य प्रदेश में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने की योजनाएं

*350. **श्री राघवजी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदिशा (मध्य प्रदेश) जिले के शहरों में डाक-तार विभाग और टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना बनायी जायेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) जी हां। डाक विभाग का मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सिरोंज और गंज बसोदा कस्बों में, प्रत्येक में दो-दो मकान बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) ये मकान टाइप-II श्रेणी के होंगे और ऐसी संभावना है कि ये 1993-94 के दौरान बन जाएगें।

(ग) जहां तक डाक विभाग का संबंध है उपर्युक्त (क) और (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता। तथापि, जहां तक दूरसंचार विभाग का संबंध है, मध्य प्रदेश में विदिशा में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए एक एकड़ जमीन ली जा रही है। वहां लगभग दस (10) स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में चाय की पैदावार करने की योजना

*351. **श्री शिवप्रसाद चनपुरिया:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में अमरकंटक, बस्तर और मंचमढ़ी में चाय की पैदावार करने की कोई योजना लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थानों में से किस स्थान पर चाय की पैदावार की गई है और पैदावार की मात्रा क्या रही है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "ना" हो तो क्या सरकार द्वारा चाय बनाने के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता के आधार पर उक्त स्थानों पर चाय की

पैदावार की दृष्टि से कोई परीक्षण किया जायेगा?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां, बशर्ते कि भू-प्रकति की विशेषताएं और कृषि परिस्थिति की दशाओं से संबंधित आधारभूत आंकड़े प्रथम दृष्टि में उपयुक्त पाये जाएं।

Restructuring of R.R.B's

*352. **SHRI BHUBANESWAR KALITA:**
SHRI SURESH KALMADI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Regional Rural Banks have suffered an accumulated loss of Rs. 300 crores of account of administrative expenses and being debarred from any banking transactions; and

(b) if so, whether Government propose to restructure the Regional Rural Banks?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) and (b) In terms of Regional Rural Banks Act, 1976 every Regional Rural Bank is to carry and transact the business of banking as defined in Banking Regulation Act, 1949. However, the RRBs are required to undertake, in particular, the granting of loans and advances, to small and marginal farmers and agricultural labourers, artisans, small entrepreneurs and persons of small means within their areas of operation. The accumulated losses of RRBs as at the end of March, 1991 were reported as Rs. 363.91 crores. The reasons for losses of RRBs are attributable to several factors like restriction on the choice of clientele, limited area of operation, low interest margin, mounting establishment costs particularly after implementation of award of the National Industrial Tribunal etc. The reorganisation of the rural credit delivery system including restructuring of the RRBs is under consideration. However, no decision has so far been taken in this regard.

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य एजेंसियों से अतिरिक्त ऋण प्राप्त करना

*353. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान, 9 मार्च 1992 के "दी इकॉनामिक टाइम्स" में "एफ०एम० होपफुल आफ गटिंग 3 बिलियन डालर फ्राम आई०एम०एफ०, अदर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार अगले वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की नियमित और सरल उपलब्धि के अतिरिक्त 3 बिलियन डालर और ऋण प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी;

(ग) यदि हां, तो उक्त ऋण प्राप्त करने के बाद देश पर अनुमानतः कुल कितने विदेशी ऋण की देनदारी होगी;

(घ) क्या सरकार, कृषि क्षेत्र के विकास हेतु ऐसी सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए, जो लम्बे समय से निर्माणाधीन चल रही हैं, उनके लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की जाने वाली ठोस कार्यवाही की रूपरेखा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) वित्त वर्ष 1992-93 के लिए विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं का हिसाब अभी लगाया जा रहा है। तथापि, उनका अनन्तिम अनुमान लगभग 3 बिलियन डालर है और इन आवश्यकताओं को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय साधनों से पूरा करने संबंधी उपायों को भारत सहायता संघ की जून, 1992 में होने वाली बैठक में अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ग) यह बहुपक्षीय और द्विपक्षीय अभिकरणों से प्राप्त ऋण की राशि पर निर्भर करेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आयकर का अपवंचन

*354. **श्रीमती वीणा वर्मा:**
श्री कपिल वर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आयकर का अपवंचन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की